
अध्याय 1

राज्य सरकार के वित्त

राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भौगोलिक दृष्टि (308 हजार वर्ग किलोमीटर) से दूसरा एवं जनसंख्या (2011 जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़) की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा राज्य है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों को मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य की जनसंख्या में वृद्धि 2001 में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 2011 में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर (अंतिम आंकड़े) हुई। राज्य ने 2004-05 से 2013-14 के दौरान 16.12 प्रतिशत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (38.30 प्रतिशत) अखिल भारतीय औसत (21.92 प्रतिशत) से उच्चतर था। 2013-14 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 4,50,900 करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष से 21.15 प्रतिशत बढ़ा। राज्य की साक्षरता दर में आंशिक वृद्धि 2001 में 69.69 प्रतिशत से 2011 की जनगणना अनुसार 70.63 प्रतिशत हुई जो कि अखिल भारतीय औसत 74.04 प्रतिशत (2011 जनगणना) से निम्नतर थी। 2004-05 से 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय (14.93 प्रतिशत) में दशकीय वृद्धि सामान्य संवर्ग के राज्यों (14.88 प्रतिशत) की तुलना में अंशतः अधिक थी।

राज्य से संबंधित सामान्य आंकड़े (विकास सूचक सहित) **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई अवधि में राज्य में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है क्योंकि यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया है:

**वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की
वार्षिक संवृद्धि दर**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (PE)*	2012-13 (QE)*	2013-14 (AE)*
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,27,557	2,63,396	3,11,670	3,72,171	4,50,900
सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®] की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15

(स्रोत: योजना आयोग आंकड़ा तालिका एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

*PE-अंतिम अनुमान, QE- त्वरित अनुमान, AE- अग्रिम अनुमान

[®] वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2009-10 से 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उल्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

2011-14 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार निष्पादन नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	2011-12 (P)	2012-13 (Q)	2013-14 (A)
प्राथमिक क्षेत्र ¹	84,069 (27)	1,10,275 (30)	1,54,405 (34)
द्वितीयक क्षेत्र ²	85,924 (28)	95,344 (25)	1,03,321 (23)
तृतीयक क्षेत्र ³	1,41,677 (45)	1,66,552 (45)	1,93,174 (43)
योग	3,11,670	3,72,171	4,50,900

(P)- अंतिम, (Q)- त्वरित, (A)- अग्रिम

कोष्ठक में आंकड़े कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के अंशदान को दर्शाते हैं

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2013-14 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गई जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग-क** में चित्रित किया गया है।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2 भाग-ख** में दर्शाई गई है।

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों/

¹ कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी, मत्स्यपालन इत्यादि सम्मिलित हैं

² खनन एवं खदान, उत्पादन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं

³ व्यापार, होटल एवं रेस्तराँ, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त, बीमा, जमीन-जायदाद एवं कारोबार सेवाएं, समुदाय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं इत्यादि सम्मिलित हैं

उच्चतम सीमाओं, चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्तियों एवं राज्य वित्त के समयबद्ध आंकड़े को परिशिष्ट 1.3 एवं परिशिष्ट 1.4 में चित्रित किया गया है।

1.1.1 2013-14 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2012-13) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करता है, जबकि परिशिष्ट 1.5 भाग-क वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1: 2013-14 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
अनुभाग-क: राजस्व					आयोजनेतर	आयोजना	योग
राजस्व प्राप्तियां	70,427.28	75,749.24	राजस्व व्यय	62,968.53	50,443.49	19,426.27	69,869.76
कर राजस्व	30,581.70	33,552.16	सामान्य सेवाएं	17,705.14	20,479.36	111.57	20,590.93
करेत्तर राजस्व	7,000.22	7,704.99	सामाजिक सेवाएं	24,375.47	15,465.83	12,302.38	27,768.21
संघ करों/शुल्कों का अंश	20,805.16	22,715.27	आर्थिक सेवाएं	16,823.35	10,720.64	6,250.69	16,971.33
भारत सरकार से अनुदान	12,040.20	11,776.82	सहायतानुदान तथा अंशदान	4,064.57	3,777.66	761.63	4,539.29
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	31.45	35.98	पूंजीगत परिव्यय	11,566.89	42.56	10,769.96	10,812.52
			सामान्य सेवाएं	204.89	27.61	168.70	196.31
			सामाजिक सेवाएं	1,620.99	4.95	1,894.35	1,899.30
			आर्थिक सेवाएं	9,741.01	10.00	8,706.91	8,716.91
कर्ज तथा अग्रिम की वसूतियां	32.53	93.22	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	5,378.25	2,906.33	2,171.19	5,077.52
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	9.14	2.44	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	7.02			2.36
लोक ऋण प्राप्तियां	8,791.16	9,540.82*	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,583.94			4,004.65*
आकस्मिकता व्यय निधि	-	-	आकस्मिकता व्यय निधि	-			निरंक
लोक लेखा प्राप्तियां	86,247.57	94,811.32	लोक लेखा संवितरण	82,735.57			93,063.99
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	7,775.88	7,074.81	अन्तिम रोकड़ शेष	7,074.81			4,477.03
योग	1,73,315.01	1,87,307.83	योग	1,73,315.01			1,87,307.83

*वर्ष के दौरान कोई अर्थापय अग्रिम आहस्ति नहीं किए गए थे।

(स्रोत: वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 5,321.96 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,970.46 करोड़ से), करेत्तर राजस्व (₹ 704.77 करोड़ से) एवं संघ के करों/शुल्कों के अंश (₹ 1,910.11 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। 2013-14 के लिए राजस्व प्राप्तियां मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 3,854.23 करोड़ कम रहीं।
- राजस्व व्यय में ₹ 6,901.23 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 3,392.71 करोड़ से), सामान्य सेवा क्षेत्र (₹ 2,885.79 करोड़ से), सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 474.72 करोड़ से) एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 147.98 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 754.37 करोड़ (सात प्रतिशत) की कमी आई; कमी मुख्यतः आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 1,024.10 करोड़ से) के अंतर्गत थी जो सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 278.31 करोड़ के अंतर्गत वृद्धि से प्रति संतुलित हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 749.66 करोड़ (8.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई एवं पुनर्भुगतान में ₹ 420.71 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कोई अर्थोपाय अग्रिम आहरित नहीं किया गया था।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 8,563.75 करोड़ (10 प्रतिशत) एवं ₹ 10,328.42 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार के नकद शेषों में ₹ 2,597.78 करोड़ की कमी आई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबंधन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2013-14 के बजट के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण और (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण को रखा है। चयनित संकेतकों के लिए 2011-12 के लिए वास्तविक, 2012-13 के लिए पुनरीक्षित अनुमान एवं 2013-14 के लिए बजट अनुमान जैसे कि मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं परिशिष्ट 1.3 भाग-ग में दिए गए हैं।

तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित राजकोषीय पूर्वानुमान तथा 2013-14 हेतु वास्तविक उपलब्धियों को तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: 2013-14 हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राज्य के लिए तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्य	बजट 2013-14 में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	0.0 प्रतिशत	राजस्व घाटे को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घटाया जाए ताकि इसे 31.03.2009 तक समाप्त किया जा सके एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य उत्पन्न किया जा सके	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.27 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (+)5,215 करोड़)	(+) 5,879 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.30 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.0 प्रतिशत	31 मार्च 2012 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत (बजट अनुमान के अनुसार (-)12,219 करोड़)	(-) 9,882 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.19 प्रतिशत)

कुल बकाया ऋणों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात	36.00 प्रतिशत	उस वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 36.00 प्रतिशत से अधिक न हो	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 25.78 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.47 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	---	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो	कोई प्रक्षेपण नहीं किए गए। 2012-13 के दौरान यह पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 12.33 प्रतिशत था	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 14.17 प्रतिशत


(स्रोत: तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंधान 2010-15, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005, 2013-14 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2013-14)

- राज्य ने 2004-05 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था और उसके पश्चात आधिक्य को बनाए रखा, यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान ₹ 1,580 करोड़ की कमी आई।
- 2013-14 के दौरान राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.19 प्रतिशत, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्यों, तेरहवें वित्त आयोग एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों में निर्धारित सीमा (3 प्रतिशत) के भीतर था। यह अनुपात 2012-13 की तुलना में कम था (2.53 प्रतिशत)। 2013-14 के दौरान, 2012-13 की तुलना में इसमें ₹ 462 करोड़ की कमी आई।
- कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 21.47 प्रतिशत पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 36 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों (25.78 प्रतिशत) से भी कम था।
- वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 14.17 प्रतिशत थीं जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों (80 प्रतिशत) में निर्धारित सीमा के भीतर थी यद्यपि विगत वर्ष की तुलना में अनुपात में अंशतः वृद्धि हुई।

1.1.3 बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की परिशुद्धता का महत्व राजकोषीय नीतियों को प्रभावशाली रूप से लागू करने के संदर्भ में समग्र आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों का प्राप्त न होना एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग न होना दर्शाता है।

चार्ट 1.1 2013-14 के लिए कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के लिए बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: वित्त लेखे और बजट अनुमान 2013-14)

- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 75,749 करोड़) बजट अनुमानों से ₹ 3,854 करोड़ (4.84 प्रतिशत) कम थीं।
- राज्य का कर राजस्व (₹ 33,552 करोड़) बजट अनुमान से ₹ 170 करोड़ अंशतः उच्चतर था। इसके अतिरिक्त, करेत्तर राजस्व, बजट अनुमान से ₹ 122 करोड़ (1.61 प्रतिशत) उच्चतर था।
- राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 4,519 करोड़ (6.07 प्रतिशत) तथा ₹ 301 करोड़ (2.71 प्रतिशत) कम थे।
- ब्याज भुगतान बजट अनुमानों से ₹ 128 करोड़ (1.96 प्रतिशत) कम था जो कि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना के लिए कर्जों पर ब्याज में कमी के कारण था।
- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में बजट अनुमानों के तुलना में सुधार दर्शित हुआ।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। जेण्डर बजटिंग 2007-08 में शुरूआत की गई थी एवं जेण्डर बजट का पृथक खण्ड महिलाओं व लड़कियों से संबंधित बजट प्रावधानों का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए, बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणी में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

2013-14 के दौरान, 25 विभागों⁴ (श्रेणी 1: 51 योजनाओं एवं श्रेणी 2: 390 योजनाओं) में महिलाओं के हितलाभ हेतु बजट प्रावधान किए गए थे।

वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2014) की गई जानकारी के अनुसार, 2009-10 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में सम्मिलित वर्षवार आवंटन एवं व्यय तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: 2009-14 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2009-10	638.68	868.67	136.01	11,977.79	1,510.02	12.61
2010-11	858.27	780.56	90.95	12,809.86	1,467.60	11.46
2011-12	1,510.02	1,245.41	82.48	20,500.64	6,908.51	33.70
2012-13	1,745.00	1,473.08	84.42	23,038.77	19,195.10	83.32
2013-14	1,768.19	1,688.93	95.52	24,464.97	24,229.29	99.04
योग	6,520.16	6,056.65	92.89	92,792.03	53,310.52	57.45

(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

जेण्डर बजटिंग शुरू होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के विश्लेषण के बारे में पूछे जाने पर, वित्त विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2014)। दो चयनित विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार (जुलाई 2014) जनजातीय कल्याण विभाग में महत्वपूर्ण बचतें थीं जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: 2013-14 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	श्रेणी-1 (100 प्रतिशत)				श्रेणी-2 (30 प्रतिशत)			
	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत (प्रतिशत)
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग	3	1.45	1.34	0.11 (7.59)	16	87.61	80.53	7.08 (8.08)
जनजातीय कल्याण विभाग	4	83.50	41.29	42.21 (50.55)	47	1,305.30	1,127.64	177.67 (13.61)

(i) जनजातीय कल्याण विभाग के अंतर्गत निधियों के उपयोग न किए जाने के कोई विशिष्ट कारण आयुक्त द्वारा सूचित नहीं किए थे (सितम्बर 2014)।

⁴ 1. गृह विभाग, 2. खेलकूद एवं युवा कल्याण, 3. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, 4. किसान कल्याण एवं कृषि विकास, 5. सहकारिता विभाग, 6. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 7. नगरीय प्रशासन एवं विकास, 8. स्कूल शिक्षा, 9. पंचायत, 10. जनजातीय कल्याण, 11. सामाजिक न्याय, 12. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, 13. जल संसाधन विभाग, 14. पशुपालन, 15. उच्च शिक्षा, 16. जन शक्ति नियोजन, 17. विमानन, 18. महिला एवं बाल विकास, 19. ग्रामीण उद्योग, 20. पिछड़ा वर्ग कल्याण, 21. अनुसूचित जाति कल्याण, 22. ग्रामीण विकास, 23. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, 24. आयुष विभाग, 25. विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जाति कल्याण

(ii) संचालक, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग ने बचतों का कारण वेतन एवं मजदूरी, प्रतियोगिता आयोजन, प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन राशि एवं खेलकूद सामग्री की अधिप्राप्ति के अंतर्गत निधियों के अल्प उपयोग को बताया।

श्रेणी 2 के अंतर्गत जनजातीय कल्याण विभाग (18) एवं खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग (3) की 21 योजनाओं में 2013-14 के दौरान किया गया व्यय श्रेणी 2 के लिए निर्धारित राशि से बहुत कम था। प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतों वाले प्रकरणों को **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट से स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए उद्दिष्ट किए गए प्रावधान अप्रयुक्त रहे। बचतें छह से 97 प्रतिशत के मध्य रहीं। इससे यह दर्शित हुआ कि महिला उन्मुखी योजनाएं, विशेषतः जनजातीय जनसंख्या के लिए, समुचित ढंग से क्रियान्वित नहीं की गई थी।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से निवल संग्रहण सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.2 में 2013-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटकों को श्रेणीबद्ध किया गया है।

चार्ट 1.2: संसाधनों के संघटक एवं उपसंघटक




तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि चार्ट 1.3 वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है एवं चार्ट 1.4 2013-14 के दौरान प्राप्तियों की संरचना का चित्रण करता है।



(स्रोत: वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियां (निवल लोक लेखे प्राप्त सहित) की संरचना (₹ करोड़ में)



(स्रोत: वित्त लेखे)

- वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों (निवल) में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 87 प्रतिशत, 11 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत समाविष्ट है।
- 2009-14 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (निवल लोक लेखे प्राप्तियां सहित) में 69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों एवं निवल लोक लेखे प्राप्तियों में वृद्धि क्रमशः 83 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 में कुल प्राप्तियों की संवृद्धि दर केवल पांच प्रतिशत थी।
- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 77 प्रतिशत एवं 87 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का अंश 11 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत के मध्य था।
- 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 5,322 करोड़ (7.56 प्रतिशत) एवं पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 808 करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 750 करोड़ से) में वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि लोक लेखे के अंतर्गत निवल प्राप्तियों में ₹ 1,765 करोड़ (50 प्रतिशत) की कमी आई।
- लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि का कारण केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां, बाजार कर्ज एवं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के अंतर्गत अधिक उधारियां थीं।

1.2.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण

भारत सरकार ऐसे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिये निधियों की बड़ी प्रमात्रा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित करती है। वर्तमान तंत्र में, ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती हैं एवं इसलिए राज्य वित्त लेखे में उल्लेख नहीं होता है। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते।

2012-13 में एवं 2013-14 के दौरान केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई निधियों का विवरण तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	भारत सरकार द्वारा जारी	
			2012-13	2013-14
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	1,610.15	1,839.82
2	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,353.43	2,004.09
3	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.)(100:0)	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	242.88	615.00
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केंद्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, मध्य प्रदेश	14.96	657.53
5	ग्रामीण आवास योजना-आई.ए.वाई. (75:25)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	237.89	472.69
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	550.37	474.95
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	461.22	524.56
8	उत्कृष्टता के चिह्न के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	22.93	133.23
9	केंद्रीय ग्रामीण सफाई योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	257.80	660.39
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:0)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	247.15	366.07
11	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	जिलाधीश (सभी जिले)	223.00	207.50
12	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम.पी.)	राज्य स्तरीय केन्द्रक अभिकरण, म.प्र.	128.30	142.63
13	आजीविका-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	मध्य प्रदेश राज्य आजीविका फोरम	142.71	102.03
14	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	संचालक, उद्यानिकी, मध्य प्रदेश	63.84	106.52
15	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मिशन संचालक, राज्य उद्यानिकी मिशन, भोपाल	30.67	75.37
16	अन्य		636.03	897.67
योग			6,223.33	9,280.05


(स्रोत: वित्त लेखे)

2013-14 के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 1,80,232 करोड़)⁵ में प्रत्यक्ष रूप से अंतरण पर प्राप्त राशि (₹ 9,280.05 करोड़) सम्मिलित नहीं है।


1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केंद्रीय कर अंतरणों एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2009-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः चार्ट 1.5 एवं 1.6 में भी चित्रित की गई हैं।

⁵ इसमें सकल लोक लेखा प्राप्तियां सम्मिलित हैं।



(कोष्ठक में आंकड़े संवृद्धि दर दर्शाते हैं)
(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2009-10 में ₹ 41,395 करोड़ से 2013-14 में ₹ 75,749 करोड़ तक 83 प्रतिशत की वृद्धि 16.60 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि की दर से हुई। 2013-14 के दौरान संवृद्धि दर 2012-13 में 12.50 प्रतिशत के विरुद्ध 7.56 प्रतिशत थी। जबकि 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया जिसमें कर राजस्व (44 प्रतिशत) एवं करेत्तर राजस्व (10 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 46 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।
- वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सापेक्ष अंशदान 41 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि 2009-10 से 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के अन्य संगठकों

अर्थात् करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर अंतरण एवं सहायता अनुदान का संयुक्त अंश 56 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत के मध्य रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.6 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	41,395	51,854	62,604	70,427	75,749
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	23.28	25.27	20.73	12.50	7.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15
राजकोषीय देयताओं की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	12.28	11.28	8.28	10.29	7.38
राज्य के स्वयं के कर की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	26.88	24.00	25.93	13.38	9.71
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.19	19.69	20.09	18.92	16.80
उत्प्लावकता अनुपात⁶					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.52	1.60	1.13	0.64	0.36
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.75	1.52	1.41	0.69	0.46
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.87	1.05	0.80	0.93	0.78
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताएं	0.80	0.72	0.45	0.53	0.35

(स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित जानकारी) वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित है इसलिए पूर्व प्रतिवेदनों में दर्शाए गए 2009-10 से 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत अनुपात/विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता पुनरीक्षित कर दी गई है।

आदर्शतः, राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके।

तालिका 1.6 के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2009-10 में 18.19 प्रतिशत से 2011-12 में 20.09 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई परंतु 2013-14 में 16.80 प्रतिशत की कमी आई।
- 2009-10 में राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में 23.28 प्रतिशत से 2010-11 में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं उसके पश्चात विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की कमी आई जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (2 प्रतिशत) में कमी एवं स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता के साथ राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष (क्रमशः 0.64 एवं 0.69) की तुलना में 2013-14 (क्रमशः 0.36 एवं 0.46) में कमी आई, जिसका कारण वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि की दर में कमी होना तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में वृद्धि था।

⁶ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है इसलिए संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के स्रोतों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्रोत समाहित हैं से किया जाता है।

तेरहवें वित्त आयोग, पुनरीक्षित अनुमानों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियां तालिका 1.7 में दी गई हैं।

तालिका 1.7: कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)				
	तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण	पुनरीक्षित बजट अनुमान 2013-14	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपण	वास्तविक आंकड़े
कर राजस्व	24,510	33,929	33,382	33,552
करेत्तर राजस्व	5,480	8,139	7,583	7,705

(स्रोत: वित्त लेखे एवं राज्य बजट 2013-14 तथा 2014-15 के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं)

यह देखा जा सकता है कि कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति (क्रमशः 36.89 प्रतिशत एवं 40.60 प्रतिशत से) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर थीं। कर राजस्व के साथ-साथ करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रक्षेपणों की तुलना में अंशतः उच्चतर थी एवं पुनरीक्षित बजट अनुमानों से कम थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: राज्य के कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)						
राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,724	10,257	12,517	14,856	16,650	(+) 12.08
राज्य उत्पाद शुल्क	2,952	3,603	4,317	5,078	5,907	(+) 16.33
वाहन कर	919	1,198	1,357	1,531	1,599	(+) 4.44
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,783	2,514	3,284	3,944	3,400	(-) 13.79
भू-राजस्व	180	361	279	444	366	(-) 17.57
माल तथा यात्री कर	1,333	1,746	2,047	2,395	2,579	(+) 7.68
विद्युत पर कर एवं शुल्क	-	-	1,773	1,478	1,972	(+) 33.42
अन्य कर*	2,382	1,740	1,399	856	1,079*	(+) 26.05
कुल कर राजस्व	17,273	21,419	26,973	30,582	33,552	(+) 9.71

* अन्य करों में कृषि भूमि से गिन्न अवल सम्पत्ति पर कर (₹ 667 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 275 करोड़), वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 137 करोड़) सम्मिलित है।

(स्रोत: वित्त लेखे)

- 2013-14 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (49.62 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (17.61 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (10.13 प्रतिशत), माल

तथा यात्री कर (7.69 प्रतिशत) तथा वाहन कर (4.77 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 1,794 करोड़ से) का मुख्य कारण उप शीर्ष 102-राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां थीं। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 829 करोड़ से) मुख्यतः '800-अन्य प्राप्तियां', '106 वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा' एवं '107 एल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय एवं प्रसाधन निर्मिति' के अंतर्गत थी। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत कमी (₹ 544 करोड़ से) मुख्यतः राज्य की कराधान नीति में परिवर्तन के कारण पंजीकरण दस्तावेजों के लिए शुल्क में कमी थी।
- कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर के अंतर्गत वृद्धि (₹ 254 करोड़ से) का मुख्य कारण उप शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत अधिक प्राप्तियां थीं। विद्युत कर तथा शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 494 करोड़ से) का मुख्य कारण उप शीर्ष '101-विद्युत बिक्री एवं उपभोग पर कर एवं अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।

राजस्व की संग्रहण लागत

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर हुआ व्यय एवं सकल संग्रहण से उसकी प्रतिशतता इसके साथ ही संबंधित विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय संग्रहण की औसत लागत को तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: राजस्व प्राप्तियों की संग्रहण लागत

स.क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत (प्रतिशत में)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2012-13	14,000.00	14,856.30	129.32	0.87	0.83
		2013-14	16,500.00	16,649.85	136.63	0.82	0.73
2.	वाहन कर	2012-13	1,400.00	1,531.25	40.07	2.62	2.96
		2013-14	1,650.00	1,598.93	50.67	3.17	4.17
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	4,800.00	5,078.06	1,188.87	23.41	2.98
		2013-14	5,750.00	5,907.39	1,320.37	22.35	2.96
4.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2012-13	3,200.00	3,944.24	79.00	2.00	1.89
		2013-14	4,000.00	3,400.00	85.93	2.53	3.25

(स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र. द्वारा संकलित जानकारी)

2013-14 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में सकल संग्रहण बजट अनुमानों से अधिक था। वाहन कर एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क का संग्रहण बजट अनुमानों से कम था। इनके अंतर्गत संग्रहण लागत में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्य प्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति आदि से प्राप्तियां शामिल हैं जैसा कि तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: करेत्तर राजस्व की संवृद्धि दर

राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)					
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2013-14 के दौरान प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी(-)
ब्याज प्राप्तियां	1,284	299	1,571	301	318	(+) 5.65
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,590	2,121	2,038	2,443	2,306	(-) 5.61
वानिकी तथा वन्य प्राणी	80	837	879	910	1,037	(+) 13.96
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	745	1,194	1,551	1,682	2,008	(+) 19.38
लाभांश एवं लाभ	50	32	38	18	379	(+) 2006
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	2,633	1,237	1,406	1,646	1,657	(+)0.67
योग	6,382	5,720	7,483	7,000	7,705	(+)10.07

(स्रोत: वित्त लेखे)

- करेत्तर राजस्व में, 2012-13 में ₹ 7,000 करोड़ से 2013-14 में ₹ 7,705 करोड़ तक, ₹ 705 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण लाभांश एवं लाभ (₹ 361 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 326 करोड़ से) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।
- 2013-14 के दौरान, करेत्तर राजस्व में, मुख्य रूप से योगदान करने वालों में, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (29.93 प्रतिशत), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (26.06 प्रतिशत) एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी (13.46 प्रतिशत) थे।
- राज्य सरकार द्वारा ऋण समेकन एवं राहत सुविधा योजना के अंतर्गत कोई भी ऋण अधित्याग प्राप्त नहीं किए गए थे।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2009-10 में ₹ 6,663 करोड़ से 2013-14 में ₹ 11,777 करोड़ तक की वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 1.11 में दर्शाया है।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेत्तर अनुदान	1,533	1,636	2,114	333	3,540
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,102	4,522	4,215	7,099	5,536
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	393	649	364	500	153
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	1,635	2,270	3,236	4,108	2,548

विशेष आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	--	--	--	--	--
योग	6,663	9,077	9,929	12,040	11,777
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	13.84	36.23	9.39	21.26	(-) 2.18
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	16.10	17.50	15.86	17.10	15.55

(स्रोत: वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के अंतर्गत ₹ 263 करोड़ की निवल कमी का कारण राज्य आयोजनागत योजना (₹ 1,563 करोड़ से), केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजना (₹ 1,560 करोड़ से) एवं केंद्रीय आयोजनागत योजना (₹ 347 करोड़ से) में कमी था जो आयोजनेत्तर अनुदान (₹ 3,207 करोड़ से) में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

राज्य आयोजनागत योजना के लिए अनुदान में कमी मुख्यतः पंचायती राज (₹ 1,203 करोड़ से) एवं ब्लॉक अनुदान (₹ 219 करोड़ से) के अंतर्गत थी। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान में कमी मुख्यतः प्रारंभिक शिक्षा-अन्य अनुदान (₹ 639 करोड़ से), शहरी परिवार कल्याण सेवाएं (₹ 265 करोड़ से) तथा अनुसूचित जाति कम्पौनेट आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (₹ 101 करोड़ से) के अंतर्गत कमी के कारण थी। केंद्रीय आयोजना योजना के लिए अनुदान में कमी मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी (₹ 182 करोड़ से), तकनीकी शिक्षा-पॉलीटेक्निक्स (₹ 54 करोड़ से) एवं वन संरक्षण विकास तथा पुनरुत्पादन (₹ 32 करोड़ से) के अंतर्गत था। आयोजनेत्तर अनुदान में वृद्धि मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदानों के अंतर्गत थी।

1.3.3 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय करों का हस्तांतरण वित्त आयोग अवार्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2013-14 के दौरान ₹ 22,715 करोड़ के केंद्रीय कर अंतरण वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण में दी गई अनुमानित राशि ₹ 23,694 करोड़ से अंशतः कम थे। यद्यपि इसमें 2012-13 में ₹ 20,805 करोड़ से ₹ 1,910 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 556.15 करोड़ से) एवं सेवा कर (₹ 662.65 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग

2013-14 के दौरान, तेरहवें वित्त आयोग ने ₹ 3,205.16 करोड़ अनुदानों के रूप में, जिसमें राज्य के लिए विशिष्ट अनुदान सम्मिलित है, की अनुशंसा की थी। इसके विरुद्ध, राज्य सरकार ने कुल ₹ 2,589.35 करोड़ के अनुदान प्राप्त किए गए थे। विवरण तालिका 1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 1.12: अनुशंसित अंतरण एवं वास्तविक जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अंतरण	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा जारी वास्तविक राशि
1	स्थानीय निकाय	1,464.41	1,101.10
	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,080.52	868.35
	सामान्य मूल अनुदान	615.10	629.26
	पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य निष्पादन अनुदान	420.30	214.85*
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	22.56	24.24
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	22.56	निरंक
	नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	383.89	232.75
	सामान्य मूल अनुदान	223.40	228.51
	नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य निष्पादन अनुदान	152.60	निरंक
	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	3.95	4.24
	विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान	3.94	निरंक
2	(अ) आपदा राहत निधि-केंद्रांश	341.00	341.00
	(ब) क्षमता निर्माण	5.00	निरंक
3	परिणामी अनुदान में सुधार	141.42	निरंक
	(i) न्याय प्रदान करने में सुधार	81.48	निरंक
	(ii) यू.आई.डी. जारी करने के लिए प्रोत्साहन	49.94	निरंक
	(iii) राज्य में सांख्यिक पद्धति में सुधार	10.00	निरंक
4	वन का संरक्षण	122.58	122.58
5	जल क्षेत्र प्रबंधन	37.00	निरंक
6	शिशु मृत्यु दर में कमी	0.00	4.92
7	प्रारंभिक शिक्षा	523.00	523.00
8	सड़कें एवं पुल	263.00	263.00
9	राज्य विशिष्ट अनुदान	307.75	233.75
	(i) आंगनबाड़ी केंद्र	100.00	100.00
	(ii) पुलिस प्रशिक्षण	45.00	45.00
	(iii) पर्यटन विकास	45.00	45.00
	(iv) स्वास्थ्य अधोसंरचना	62.50	निरंक
	(v) विरासत संरक्षण	43.75	43.75
	(vi) गांधी मेडिकल कॉलेज में वायरस विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	6.00	निरंक
	(vii) एम.टी.एच. अस्पताल, इंदौर का उन्नयन	5.50	निरंक
	योग	3,205.16	2,589.35

*राज्य को अन्य राज्यों की जब्त राशि में से प्राप्त ₹173.23 करोड़ को छोड़कर
(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

पुलिस विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2014) एवं वित्त विभाग से जानकारी संग्रहण के दौरान (अक्टूबर 2014) हमने अधिक/त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण, तेरहवें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का अनुपयोगी रहना एवं जमा लेखे में राशियों को रोक कर रखना देखा जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

तेरहवें वित्त आयोग के 2011-15 की अवार्ड अवधि के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में पाँच पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों के उन्नयन एवं सागर में एक नया मूल कॉन्सटेबल स्कूल की स्थापना के लिए ₹ 180 करोड़ का अनुदान (₹ 45 करोड़ की चार वार्षिक किस्तों में) संस्वीकृत (सितम्बर 2010) किए थे। दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रथम किस्त की सम्पूर्ण राशि एवं द्वितीय किस्त का दो तिहाई राशि के उपयोग के बाद तीसरी किस्त जारी की जानी थी। इसी तरह, चौथी किस्त के जारी होने के लिए, प्रथम एवं द्वितीय किस्त का 100 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त के दो तिहाई का उपयोग किया जाना था।

2011-12 एवं 2012-13 के दौरान जारी ₹ 90 करोड़ के विरुद्ध राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने ₹ 74.45 करोड़ के लिए प्रगामी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए (मार्च 2014) अर्थात् ₹ 15.55 करोड़ अव्ययित शेष बताए गए। हमने देखा कि वास्तविक अव्ययित शेष ₹ 31.34 करोड़ था। (₹ 27.16 करोड़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा अनुपयोगी रखे गए थे एवं ₹ 4.18 करोड़ एडीजी (प्रशिक्षण) द्वारा कै-डिपोजिट में रखे गए थे) इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि ₹ 15.79 करोड़ तक बढ़ी हुई थी। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर, भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 45 करोड़ की तीसरी किस्त जारी कर दी (मई 2014)। जबकि एडीजी (प्रशिक्षण) द्वारा 2014-15 के दौरान ₹ 4.18 करोड़ का उपयोग किया गया। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन अव्ययित राशि को बैंक में रखे रहे।

हमने यह भी देखा (अक्टूबर 2014) कि राज्य वित्त विभाग ने तीन किस्तों में ₹ 135 करोड़ के विरुद्ध, ₹ 11.89 करोड़ अव्ययित शेष के साथ, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के बैंक खातों में ₹ 45.44 करोड़ का अव्ययित शेष होने के बावजूद (2012-13 तक ₹ 27.16 करोड़ + 2013-14 के लिए ₹ 18.28 करोड़), ₹ 123.11 करोड़ के प्रगामी उपयोगिता प्रमाण पत्र सितम्बर 2014 में प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 33.55 करोड़ तक बढ़े हुए थे।

इस ओर इंगित करने पर, अपर महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया (जुलाई 2014) कि पूर्व में उपयोगिता प्रमाण पत्र किए गए कार्य के निर्धारित मूल्य के आधार पर जारी किए गए थे। परन्तु लेखापरीक्षा को बताया गया व्यय ठेकेदार को किया गया वास्तविक भुगतान था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य के आंकलित मूल्य के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र का जारी करना सही नहीं था एवं सुसंगत नियमों के प्रतिकूल था।

1.3.5 संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)

31 मार्च 2014 को दो विभागों द्वारा सूचित किए गए राजस्व अपवंचन के विवरण तालिका 1.13 में दिए गए हैं। अन्य चार राजस्व विभागों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

तालिका 1.13: कर का अपवंचन

राजस्व की प्रकृति	31 मार्च 2013 को लंबित प्रकरणों की संख्या	2013-14 के दौरान जानकारी में आए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की कुल संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया एवं बढ़ाई गई शास्ति सहित अतिरिक्त मांग		31.03.2014 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	253	263	516	239	44.19	277
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16,394	9,876	26,270	12,694	49.43	13,576
योग	16,647	10,139	26,786	12,933	93.62	13,853

(स्रोत: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित जानकारी)

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

तालिका 1.14 पूंजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.14: प्राप्तियों की संरचना एवं संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूंजीगत प्राप्तियां	8,651	7,861	15,899	8,864	9,672
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	48	403	9,149	73	131
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22	367	23	31	36
अंतर्राज्यीय परिशोधन	3	2	3	9	2
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	23	34	9,123	33	93
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	8,603	7,458	6,750	8,791	9,541
पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	30.44	-9.13	102.25	-44.25	9.12
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	-39.24	739.58	2,170.22	-99.20	79.45
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	31.28	-13.31	-9.49	30.24	8.53
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15

(स्रोत: वित्त लेखे)

1.4.1 विनिवेश से प्राप्ति

वित्त लेखे 2013-14 के अनुसार, विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत सहकारी समितियों/बैंकों का विनिवेश में 2012-13 में ₹ 21.45 करोड़ से 2013-14 में ₹ 25.53 करोड़ की अंशतः वृद्धि हुई।

1.4.2 कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां

वर्ष के दौरान ₹ 93 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली बजट अनुमानों (₹ 125 करोड़) से कम थी। 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूली में

₹ 60 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः जल प्रदाय, सफाई, आवास एवं नगरीय विकास (₹ 56.75 करोड़ से) से कर्ज की अधिक वसूली के कारण थी।

1.4.3 लोक ऋण प्राप्ति

लोक ऋण प्राप्ति में आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण सम्मिलित थे। 2013-14 के दौरान, लोक ऋण प्राप्ति में वृद्धि मुख्यतः आंतरिक ऋण के अंतर्गत हुई।

- आंतरिक ऋण प्राप्ति में 2012-13 में ₹ 7,234 करोड़ से 2013-14 में ₹ 8,328 करोड़, कुल ₹ 1,094 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः बाजार ऋण एवं केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत वृद्धि था।
- भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम में 2012-13 में ₹ 1,557 करोड़ से 2013-14 में ₹ 1,212 करोड़, कुल ₹ 345 करोड़ की कमी आई। संपूर्ण कमी राज्य/संघ क्षेत्र आयोजनागत योजना के लिए कर्ज के अंतर्गत थी।

1.5 लोक लेखे प्राप्ति

कुछ निश्चित लेन देनों के संबंध में प्राप्ति एवं संवितरण जैसे अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं इन पर राज्य विधानसभा द्वारा वोट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सरकार एक बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि, सरकार के पास उपलब्ध वह राशि है जिसका वह उपयोग कर सकती है।

2009-14 के दौरान लोक लेखे प्राप्ति के संबंध में प्रवृत्तियों को तालिका 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.15: लोक लेखे प्राप्ति में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लोक लेखे प्राप्ति (सकल)	52,353	65,675	76,315	86,248	94,811
(क) अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,512	1,737	2,033	2,319	2,784
(ख) आरक्षित निधि	764	1,191	1,534	2,441	1,612
(ग) जमा एवं अग्रिम	9,334	9,724	9,872	6,502	10,369
(घ) उचंत एवं विविध	31,457	41,810	50,620	59,819	64,444
(ङ) प्रेषण	9,286	11,213	12,256	15,167	15,602

(स्रोत: वित्त लेखे)

लोक लेखे प्राप्ति (सकल) में 2012-13 में ₹ 86,248 करोड़ से 2013-14 में ₹ 94,811 करोड़, कुल ₹ 8,563 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः जमा एवं अग्रिमों (₹ 3,867 करोड़ से) एवं उचंत तथा विविध (₹ 4,625 करोड़ से) के अंतर्गत हुई।


1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के

अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया सामाजिक क्षेत्र के विकास की ओर अग्रसर व्यय की लागत पर नहीं है।

1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

चार्ट 1.7 विगत पांच वर्षों की अवधि (2009-14) के कुल व्यय (लोक ऋणों पुनर्भूगतानों को छोड़कर) की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विभिन्न संघटकों के अंतर्गत किए गए व्यय को चार्ट 1.8 में दर्शाया गया है एवं गतिविधियों/सेवाओं के द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: वित्त लेखे)

2009-14 की अवधि के दौरान, राज्य के कुल व्यय में ₹ 38,120 करोड़ (80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 33,973 करोड़ (95 प्रतिशत) एवं ₹ 2,888 करोड़ (36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2013-14 के दौरान, 2012-13 की तुलना में कुल व्यय में ₹ 5,842 करोड़ (सात प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 6,902 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई थी जिसे पूंजीगत व्यय में ₹ 754 करोड़ (सात प्रतिशत) एवं कर्ज एवं अग्रिमों ₹ 301 करोड़ (छह प्रतिशत) के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

2013-14 के दौरान कुल आयोजना व्यय⁷ एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय⁸ में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 940 करोड़ तथा ₹ 4,907 करोड़ की वृद्धि हुई। 2013-14 के दौरान कुल आयोजना व्यय एवं कुल आयोजनेत्तर व्यय कुल व्यय का क्रमशः 38 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत था।

जैसा कि चार्ट 1.8 से देखा जा सकता है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय के अंश में 2009-10 में 75 प्रतिशत से 2013-14 में 81 प्रतिशत तक, वर्ष 2011-12 को


⁷ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजना व्यय सम्मिलित है।

⁸ राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिमों के अंतर्गत आयोजनेत्तर व्यय सम्मिलित है।


छोड़कर, लगातार वृद्धि हुई। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अंश में 2009-10 में 17 प्रतिशत से 2013-14 में 13 प्रतिशत तक, वर्ष 2012-13 को छोड़कर, लगातार कमी आई।

2013-14 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 5,824 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2013-14 में कुल व्यय (₹ 85,762 करोड़) का 88 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749 करोड़) से पूरा किया जा सकता था।



राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,801 करोड़ से), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण (₹ 138 करोड़ से), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 155 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 116 करोड़ से) तथा जल प्रदाय, सफाई एवं नगरीय विकास (₹ 100 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।



(स्रोत: वित्त लेखे)

➤ चार्ट 1.9 में दर्शाये अनुसार कुल व्यय की तुलना में सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) के अंतर्गत व्यय के अंश में 2009-10 में 25.47 प्रतिशत से 2013-14 में 24.24 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय के अंश में 2009-10 में 29.68 प्रतिशत से 2013-14 में 34.59 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत

व्यय के अंश में 2009-10 में 31.48 प्रतिशत से 2013-14 में 29.96 प्रतिशत कमी की प्रवृत्ति दर्शाई। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं सम्मिलित होती हैं, में 2009-10 में 61.16 प्रतिशत से 2013-14 में 64.55 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय परिवर्तनों सहित वृद्धि हुई।

- कुल व्यय में सहायता अनुदानों के अंश में 2009-10 में 5.35 प्रतिशत से 2013-14 में 5.29 प्रतिशत तक अंतरवर्षीय उतार-चढ़ाव सहित अंशतः कमी आई।
- कुल व्यय में कर्ज एवं अग्रिमों के अंश में 2011-12 (20.33 प्रतिशत) को छोड़कर 2009-10 में 8.01 प्रतिशत से 2013-14 में 5.92 प्रतिशत की लगातार कमी हुई।

1.6.2 पूंजीगत व्यय

- पूंजीगत व्यय में 2009-10 में ₹ 7,925 करोड़ से 2012-13 में ₹ 11,567 करोड़ की वृद्धि हुई उसके बाद 2013-14 में ₹ 10,813 करोड़ तक की कमी आई (सात प्रतिशत से)। पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 754 करोड़ की कमी मुख्यतः ग्रामीण विकास (₹ 749 करोड़ से), उर्जा (₹ 595 करोड़ से) एवं कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (₹ 159 करोड़ से) के अंतर्गत थी जिसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹ 268 करोड़ से) एवं परिवहन (₹ 267 करोड़ से) में वृद्धि के द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया। 2013-14 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय बजट अनुमान ₹ 11,114 करोड़ (₹ 301 करोड़ से) कम था।

1.6.3 राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के राजस्व व्यय में 2009-10 में ₹ 35,897 करोड़ से 2013-14 में ₹ 69,870 करोड़ की वृद्धि हुई, जो इस अवधि के दौरान 18.93 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को प्रदर्शित करती है। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में कुल ₹ 6,902 करोड़ (10.96 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय ₹ 50,443 करोड़ था जो कुल राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था।
- वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 16,100 करोड़ से: 46.88 प्रतिशत), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारणों से बहुत उच्चतर था। यह राज्य सरकार द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए निर्धारणों के लगभग बराबर था जैसा कि तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में संवृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
2013-14	34,343	50,827	50,443

(स्रोत: वित्त लेख और तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण)

- आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 2009-10 में ₹ 26,059 करोड़ से 2013-14 में ₹ 50,443 करोड़ तक की वृद्धि हुई जो इस अवधि के दौरान 18.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर प्रदर्शित करती है। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 5,824 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 2,004 करोड़ से), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 409 करोड़ से), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 306 करोड़ से) एवं विद्युत (₹ 304 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।
- आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2009-14 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,078 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2013-14 आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 796 करोड़ से) एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण (₹ 165 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

1.6.4 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय

राज्य सरकार के ब्याज भुगतान पर व्यय, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन एवं राजसहायताओं पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय होते हैं। तालिका 1.17 एवं चार्ट 1.10 2009-14 की अवधि के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

तालिका 1.17: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें	10,678 (25.80)	13,100 (25.26)	14,113 (22.54)	16,026 (22.76)	21,831	18,361 (24.24)
आयोजनेत्तर शीर्ष	9,406	11,490	12,274	14,133	--	16,081
आयोजना शीर्ष**	1,272	1,610	1,839	1,893	--	2,280
ब्याज अदायगियां	4,454 (10.76)	5,049 (9.74)	5,300 (8.47)	5,574 (7.91)	6,519	6,391 (8.44)
पेंशन भुगतान	3,077 (7)	3,767 (7.26)	4,389 (7.01)	4,947 (7.02)	6,531	5,932 (7.83)
राजसहायताएं	2,033 (4.91)	1,810 (3.49)	2,926 (4.67)	5,697 (8.09)	27,776	6,567 (8.67)
योग	20,242 (49)	23,726 (46)	26,728 (43)	32,244 (46)	62,657 (79)	37,251 (49)

नोट: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं।

**आयोजना शीर्ष में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है।

(स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) मध्य प्रदेश द्वारा संकलित व्ही.एल.सी. आंकड़े)



(स्रोत: वित्त लेखे, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा संकलित आंकड़े तथा बजट दस्तावेज)

2013-14 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज भुगतान एवं राज सहायताओं पर व्यय (₹ 37,251 करोड़) राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था। 2009-14 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राज सहायताओं पर समग्र व्यय में, 16.81 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से 84 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2012-13 में 20.64 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में 15.53 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में यह 43 प्रतिशत से 49 प्रतिशत के मध्य रहा। 2013-14 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत रहा एवं राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों (79 प्रतिशत) से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.6.4.1 वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2009-10 में ₹ 10,678 करोड़ से 2013-14 में ₹ 18,361 करोड़, 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2013-14 में वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय बजट अनुमान के प्रक्षेपणों (₹ 21,831 करोड़) से कम था। 2009-14 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 22.54 प्रतिशत एवं 25.80 प्रतिशत के मध्य रहा। 2013-14 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 24.24 प्रतिशत था।

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.6.4.2 पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय में 2009-10 में ₹ 3,077 करोड़ से 2013-14 के दौरान ₹ 5,932 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में ₹ 985 करोड़ (20 प्रतिशत से) की वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी एवं सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 652 करोड़ से), परिवार पेंशन (₹ 121 करोड़ से) एवं उपदान (₹ 108 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

2013-14 में वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 5,932 करोड़, बजट अनुमान ₹ 6,531 करोड़ से, 9.17 प्रतिशत कम था और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रक्षेपित ₹ 3,904 करोड़ से 51.95 प्रतिशत अधिक था।

अंशदायी पेंशन योजना

राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की 1 जनवरी 2005 को या उसके पश्चात नियुक्ति हुई है वे नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं जिसे अंशदायी पेंशन योजना परिभाषित किया गया है। योजना के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अनुरूप अंश मनोनीत निधि प्रबंधन को NSDL/ट्रस्टी बैंको द्वारा अंतरित किया जाता है। यद्यपि कर्मचारियों के अंशदान की वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार का अनुरूप अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार नई पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष “0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली” के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान प्राप्ति करती है तथा बजटिंग की विधि अपनाती है। तत्पश्चात ये अंशदान लघुशीर्ष ‘900-वापसी घटाइए’ के अंतर्गत संचालित कर निधि को अंतरित की जाती है। चूंकि समेकित निधि सरकार के लिए वर्ष के अंत में बंद कर दी जाती है, अतः किसी वर्ष में निधि को प्रेषित अंशदानों में किसी भी प्रकार की कमी आगामी वर्ष के लेखों में उपलब्ध नहीं होती है।

2013-14 के दौरान, कर्मचारियों के अंशदान ₹ 158.66 करोड़ के विरुद्ध सरकार ने ₹ 176.78 करोड़ अंशदान किया। वर्तमान लेखाकरण कार्यविधि के अंतर्गत यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 2013-14 के लिए सरकार का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान से अधिक अंशदान पूर्व के वर्षों की कमी के विरुद्ध था। हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 0071 के अंतर्गत जमा कुल अंशदान ₹ 335.44 करोड़ में से राज्य सरकार ने मार्च 2014 तक NSDL/ट्रस्टी बैंको को ₹ 323.10 करोड़ अंतरित किए थे। चूंकि यह राशि निधि में नहीं रखी गई थी इसलिए यह वित्त वर्ष की समाप्ति पर शासकीय खाते में व्यपगत हो गई थी। असंग्रहीत, बे-मेल एवं अंतरित नहीं की गई राशियां, अर्जित ब्याज सहित योजना के अंतर्गत बकाया देयताओं को दर्शाती हैं।

1.6.4.3 ब्याज अदायगियां

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान किए गए ब्याज भुगतान तालिका 1.18 में दिए गए हैं।

तालिका 1.18: ब्याज अदायगियां

	(₹ करोड़ में)				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज अदायगियां	4,454	5,049	5,300	5,574	6,391

2013-14 के दौरान ₹ 6,391 करोड़ के ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों की 8.44 प्रतिशत लेखांकित की गईं और राजस्व व्यय की 9.15 प्रतिशत थी। ब्याज अदायगियां मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 2,580 करोड़), केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 1,639 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 843 करोड़) केंद्र सरकार से लिए गए कर्ज (₹ 638 करोड़) एवं अन्य आंतरिक ऋण (₹ 436 करोड़) पर थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 817 करोड़ (14.66 प्रतिशत) की वृद्धि बाजार कर्ज पर ब्याज (₹ 886 करोड़ से), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 146 करोड़ से), अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (₹ 41 करोड़ से) के अंतर्गत वृद्धि का परिणाम थी जिसे मुख्यतः केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष

प्रतिभूतियों (₹ 131 करोड़ से) एवं राज्य भविष्य निधि (₹ 104 करोड़ से) पर ब्याज के अंतर्गत कमी द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया।

वर्ष के दौरान ₹ 6,391 करोड़ की ब्याज अदायगियां बजट अनुमान ₹ 6,519 करोड़ से एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा 2013-14 के लिए किए गए प्रक्षेपणों (₹ 6,960 करोड़) से कम थी।

1.6.4.4 राजसहायताएं

2013-14 के दौरान ₹ 6,567 करोड़ (आयोजनेत्तर: ₹ 4,596 करोड़ एवं आयोजना: ₹ 1,971 करोड़) की राजसहायता के भुगतान को राजस्व प्राप्तियों का 8.67 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.40 प्रतिशत लेखांकित किया गया। आयोजनेत्तर एवं आयोजना राजस्व व्यय में राजसहायताओं के ब्यौरे परिशिष्ट 1.7 में प्रस्तुत किए गए हैं।

2013-14 के दौरान, कुल ₹ 6,567 करोड़ की राजसहायताओं में से, ₹ 3,041 करोड़ (46 प्रतिशत) ऊर्जा विभाग के अंतर्गत थी। 2013-14 में वास्तविक राजसहायता बजट अनुमान ₹ 27,776 करोड़ की 23.64 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 में राजसहायता की राशि (₹ 870 करोड़ से) में वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा (₹ 368 करोड़ से), उद्योग (₹ 124 करोड़ से), खाद्य राजसहायता (₹ 102 करोड़ से) एवं फसल कृषि कर्म (₹ 94 करोड़ से) की राजसहायता में वृद्धि के कारण थी।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.19 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.19: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2012-13	2013-14
शैक्षणिक संस्थाएं	2,520.24	3,862.98
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	564.11	743.05
आवास	267.98	225.02
नगरीय विकास	1,034.50	1,170.22
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	404.78	387.91
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	880.75	649.67
ग्रामीण विकास	3,017.70	2,650.05
पंचायती राज	3,932.57	4,314.29
जल आपूर्ति तथा सफाई	178.57	237.94
अन्य संस्थाएं	685.84	712.21
योग	13,487.04	14,953.34
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	21.42	21.40

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.आंकड़े)

➤ स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 2012-13 में ₹ 13,487.04 करोड़ से 2013-14 में ₹ 14,953.34 करोड़ तक ₹ 1,466.30 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों (₹ 1,342.74 करोड़ से: 53 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता देने के कारण हुई।

➤ राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता में 2012-13 में 21.42 प्रतिशत से 2013-14 में 21.40 प्रतिशत तक आंशिक कमी आई।

1.6.6 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण

तेहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को स्पष्टतः परिभाषित कार्यो व जिम्मेदारियों से निहित करते हुए स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को तीन प्रकार⁹ से संगठित किया। वर्तमान में, राज्य में 377 नगरीय स्थानीय निकाय¹⁰ एवं 23,369 पंचायती राज संस्थाएं¹¹ हैं।

1.6.6.1 निधियों, कार्यो एवं अमले का अंतरण

संशोधन के अनुसार (संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य एवं नगरीय स्थानीय निकायों को 18 कार्य हस्तांतरित किए जाने थे जिनका विवरण परिशिष्ट 1.8 में दिया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों को सभी कार्य हस्तांतरित कर दिए थे। सरकार द्वारा कोई भी निधि एवं अमला अलग से अंतरित नहीं किया गया (जुलाई 2014)। पंचायती राज संस्थाओं को कार्यो का हस्तांतरण नहीं किया गया था।

1.6.6.2 नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा एवं राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकृत के अनुसार राज्य सरकार के विभाजनीय कोष¹² का एक प्रतिशत एवं चार प्रतिशत क्रमशः नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किए गए जैसा कि तालिका 1.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20: नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	नगरीय स्थानीय निकाय		कम जारी की गई निधियां	पंचायती राज संस्थान		कम जारी की गई निधियां
	निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गई निधियां		निधियां जो हस्तांतरित की जानी थीं	वास्तविक हस्तांतरित की गई निधियां	
1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)
2013-14	239.40	170.81	68.59	957.60	809.63	147.97

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि वित्त विभाग में 2013-14 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 68.59 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 147.97 करोड़ कम

⁹ नगरीय स्थानीय निकाय:- बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम, छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद एवं संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, पंचायती राज संस्थाएं:-जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लाक स्तर पर जनपद पंचायत एवं ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत

¹⁰ नगरीय स्थानीय निकाय:-14 नगर पालिका निगम, 100 नगर पालिका परिषद, 263 नगर परिषद

¹¹ पंचायती राज संस्थाएं:-50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 23,006 ग्राम पंचायतें

¹² विभाजनीय कोष का तात्पर्य विगत वर्ष के राज्य के कर राजस्व में से कर संग्रहण हेतु व्यय दस प्रतिशत को कम करने के बाद नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए राजस्व को घटाने के उपरान्त प्राप्त राशि से है।

जारी किए। वित्त विभाग द्वारा कारण बताए गए (नवम्बर 2014) कि निधियां अंतरित की जा रही थी।

1.6.6.3 लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे वे उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। 2013-14 के अंत में नगरीय स्थानीय निकायों में 5671 अभ्युक्तियां (2013-14 के दौरान जारी 732 अभ्युक्तियों सहित) एवं पंचायती राज संस्थाओं में 22,347 अभ्युक्तियां (2013-14 के दौरान जारी 3749 अभ्युक्तियों सहित) अनुपालन हेतु शेष थी।

1.6.6.4 प्रतिवेदन का स्थानन

पंचायती राज संस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 (जुलाई 2011) एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (जनवरी 2012) में संशोधन के अनुसार भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि वर्ष 2011-12 के लिए प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से इसकी स्थिति सितम्बर 2014 में फिर से चाही गई थी। उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आकलन)।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपे गए हैं, वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई कही जा सकती है, यदि उस वर्ष के लिए विशेष व्यय शीर्ष को दी गई प्राथमिकता सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.21 में 2010-11 एवं वर्तमान वर्ष 2013-14 में सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत की तुलना में विकास व्यय, सामाजिक व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.21: 2010-11 एवं 2013-14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय# कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2010-11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2010-11	21.84	69.07	33.14	15.30	14.88	3.74
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2013-14	19.02	70.46	34.67	12.61	16.14	4.02
*दिल्ली, गोवा एवं पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य संवर्ग के राज्य # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है। स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, 1 अगस्त 2014 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, केरल जहां आंकड़े प्रधान महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए थे एवं गुजरात जहां आंकड़े 2013-14 के लिए बजट दस्तावेज से लिए गए हैं को छोड़कर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश के लिए जानकारी राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।						

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतर अनुपात व्यय किया।
- 2010-11 एवं 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ।
- विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं एवं सामाजिक सेवा व्यय समाविष्ट होते हैं। 2010-11 एवं 2013-14 में मध्य प्रदेश में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से निम्नतर रहा है। इसके अतिरिक्त, दोनों वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों पर सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में कमतर अनुपात में व्यय किया गया था।
- यह देखा गया कि 2010-11 के दौरान मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग के राज्य के औसत से उच्चतर था जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान कम था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण (कोर पब्लिक गुड्स) तथा उपयोगी पदार्थों¹³ (मेरिट गुड्स) के प्रावधान

¹³ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़कें अधोसंरचना आदि।
मेरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन

पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹⁴ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.22 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किए गए राजस्व व्यय के संघटकों एवं पूंजीगत व्यय का विवरण उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.22: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2012-13			2013-14		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1.33	53.57	0.16	0.95	48.85	0.05
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.36	57.02	0.22	4.81	63.89	0.18
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	22.44	8.76	6.37	24.30	3.34	2.09
अन्य सामाजिक सेवाएं	5.81	9.29	0.08	7.83	28.55	0.10
योग (सामाजिक सेवाएं)	6.20	35.15	0.84	6.39	35.53	0.65
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	5.18	30.50	0.17	2.78	35.24	0.19
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	85.57	68.19	4.79	85.28	63.93	6.36
बिजली तथा ऊर्जा	14.29	0.01	0.28	7.59	0.01	0.21
परिवहन	62.35	5.95	69.42	62.79	2.57	29.87
अन्य आर्थिक सेवाएं	12.61	3.96	1.39	14.95	38.09	18.70
योग (आर्थिक सेवाएं)	30.66	17.12	6.58	28.40	19.53	7.86
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	19.63	27.79	2.19	17.57	29.46	3.38

(स्रोत: वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 1.22 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश में 2012-13 में 6.20 प्रतिशत से 2013-14 में 6.39 प्रतिशत की अंशतः वृद्धि हुई। यद्यपि, आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत अंश में 2012-13 में 30.66 प्रतिशत से 2013-14 में 28.40 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत व्यय के अंश में वृद्धि मुख्यतः जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्रों के अंतर्गत हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्यतः उर्जा एवं कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों क्षेत्रों के अंतर्गत थी। इससे यह प्रदर्शित हुआ कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत पूंजीगत व्यय पर प्राथमिकता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिधान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित है।

¹⁴ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

- राजस्व व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी दोनों के अंश में संयुक्त रूप से 2012-13 में 27.79 प्रतिशत से 2013-14 में 29.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचालन एवं संधारण के मामले में भी व्यय में 2012-13 में 2.19 प्रतिशत से 2013-14 में 3.38 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत हुई। इससे इंगित हुआ कि राजकोषीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।

जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है, 2004-13 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय की संपोषित वार्षिक वृद्धि दर अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कम थी जबकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इससे इंगित हुआ कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता थी।

1.8 शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखे अपितु अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करे और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में वहन करने की उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने एवं वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2014 तक सांविधिक निगमों (26), सरकारी कम्पनियों (35), संयुक्त स्टॉक कम्पनियों और साझेदारियों (23), बैंक (एक) एवं सहकारी समितियों (130) इत्यादि में ₹ 15,275.10 करोड़ निवेश किए (तालिका 1.23)। 2009-14 के दौरान इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.72 प्रतिशत था जबकि सरकार ने उसी अवधि के लिए उधारियों पर औसत ब्याज दर (6.81 प्रतिशत) का भुगतान किया।

तालिका 1.23: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	(₹ करोड़ में)				
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त में निवेश	11,686.28	12,216.04	13,183.59	14,656.50	15,275.10
प्रतिलाभ	49.75	32.20	37.98	18.38	378.72
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.43	0.26	0.29	0.13	2.48
सरकार द्वारा लिए गए उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.94	7.04	6.74	6.48	6.84
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	6.51	6.78	6.45	6.35	4.36

(स्रोत: वित्त लेखे)

- मार्च 2014 के अन्त तक ₹15,275.10 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका आवंटन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था (सांविधिक निगम: ₹ 411 करोड़; सरकारी कम्पनियाँ: ₹180.49 करोड़; सहकारी बैंक एवं समितियाँ: ₹483.01 करोड़ और संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँ: ₹ 1.54 करोड़)।

- 2013-14 के दौरान इन निवेशों पर प्रतिलाभ 2.48 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.84 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। इस प्रकार सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ उधारियों की लागत की तुलना में बहुत कम था।
- बाईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2013-14 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹12,695.31 करोड़ था, घाटे में चल रहीं थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 22,071.34 करोड़ तक हो गया था। विवरण परिशिष्ट 1.9 में दिए गए हैं।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

हमने देखा कि राज्य सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2008-09 से 2013-14 के लिए जानकारी वित्त लेखों में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि 31 मार्च 2014 को ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों से जानकारी प्राप्त की गई थी। अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति, प्रत्येक की लागत ₹ एक करोड़ से अधिक तालिका 1.24 में दी गई है।

तालिका 1.24: 31 मार्च 2014 को अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारंभिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	संचयी वास्तविक व्यय	लागत में वृद्धि
					(₹ करोड़ में)
ऊर्जा विभाग	92	62,374.21	11,611.64	24,246.53	3,125.52
जल संसाधन विभाग	49	418.81	283.41	366.53	89.06
लोक निर्माण विभाग	47	248.78	187.11	211.80	64.00
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	13	5,546.15	12,460.60	9,639.89	9,422.26
योग	201	68,587.95	24,542.76	34,464.75	12,700.84

(स्रोत: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा संचारित जानकारी)

- हमने देखा कि 50 प्रकरणों में परियोजनाओं की प्रारंभिक लागत (कुल ₹11,842.84 करोड़) पुनरीक्षित की गई थी (कुल ₹24,542.76 करोड़)। 146 प्रकरणों में प्रारंभिक लागत (कुल ₹56,718.16 करोड़) पुनरीक्षित नहीं की गई थी। इन सभी प्रकरणों में परियोजनाओं के प्रगामी व्यय पुनरीक्षित प्रारंभिक अनुमान से अधिक नहीं हुए। यद्यपि पांच प्रकरणों में परियोजनाओं का प्रगामी व्यय (₹27.87 करोड़) प्रारंभिक परियोजना लागत (₹26.95 करोड़) से अधिक हुआ, परियोजना लागत पुनरीक्षित नहीं की गई। विभागवार विवरण परिशिष्ट 1.10 में दिया गया है।
- संबंधित विभागों ने इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी का कारण मानवशक्ति एवं सामग्री की कमी, एप्लीकेशन के विकास में देरी, टर्न-की कान्ट्रैक्टरों द्वारा सामग्री के अधिग्रहण में कुप्रबंधन एवं वित्तीय संकट के कारण कार्य की धीमी प्रगति, जनता के विरोध के कारण भूमि की समस्या, घनी जनसंख्या एवं वन विभाग से अनापत्ति में बाधा, निधियों की कमी, पुल के डिजाइन एवं प्रकार में पुनरीक्षण, पहुंच सड़क एवं रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए लाइन प्रणाली पूर्ण होने में देरी इत्यादि बताया।

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुओं के लिए बहुमूल्य

राजकोषीय व्यवस्था उपलब्ध कराता है जहाँ पर वित्त पोषण नहीं हो पा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार सड़क, परिवहन, नगरीय अधोसंरचना, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, खेल, शिक्षा एवं डेयरी इत्यादि के क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

हमने देखा कि मार्च 2014 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत प्रारम्भ की गई 207 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (लागत: ₹ 26,173.10 करोड़) में से, ₹ 5,342.80 करोड़ लागत की केवल 41 परियोजनाओं (19.81 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था। जबकि ₹ 13,559.00 करोड़ लागत वाली 113 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर था, अन्य 53 परियोजनाएं (लागत: ₹ 7,271.30 करोड़) शुरु नहीं की गईं। विवरण परिशिष्ट 1.11 में दिया गया है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियाँ, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध करवा चुकी है। तालिका 1.25 31 मार्च 2014 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.25: राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2011-12	2012-13	2013-14	
			बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
दिए गए कर्ज का प्रारंभिक शेष	15,105	21,742	--	27,088
वर्ष के दौरान दी गई राशि	15,760	5,378	6,445	5,077
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	9,123	32	125	93
अन्त शेष	21,742	27,088	--	32,072
निवल संयोजन	6,637	5,346	6,570	4,984
ब्याज प्राप्तियाँ	1,200	42	204	12
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियाँ	6.51	0.17	--	0.04
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियाँ	6.74	6.48	--	6.84
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	0.23	6.31	--	6.80

(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट अनुमान 2013-14)

- 31 मार्च 2014 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 32,072 करोड़¹⁵ थे। इन कर्जों के विरुद्ध प्राप्त ब्याज ₹ 12 करोड़ था। विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज, वसूल किए गए कर्ज की राशि से अधिक थे परिणामस्वरूप बकाया कर्जों एवं अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया कि 31 मार्च 2014 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों का 82 प्रतिशत (₹ 26,268 करोड़) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित थे तथा सात प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास (₹ 2,227 करोड़) में कार्यरत इकाईयों से वसूल किये जाने थे।

¹⁵ इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित ₹ 2,186 करोड़ सम्मिलित हैं। जिन्हें अंतिम/अंतरित नहीं किया गया है।

- 2013-14 के दौरान उधारियों पर 6.84 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए औसत ब्याज को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर 0.04 प्रतिशत बहुत कम थी।
- 2013-14 के दौरान, प्राप्त ब्याज (₹ 12 करोड़), 2013-14 के बजट अनुमान (₹ 204 करोड़) एवं 2012-13 के वास्तविक आंकड़ों (₹ 42 करोड़) से कम था जो कि मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं से ब्याज प्राप्त न होने के कारण था।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.26 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है।

तालिका 1.26: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

	1 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2014 को अंतिम शेष	वृद्धि(+)/कमी (-)
(1). सामान्य रोकड़ शेष [(i) से (iv)+2]	6,543.70	4,072.36	(-)2,471.34
(i) कोषालयों में रोकड़	--	--	--
(ii) रिजर्व बैंक में जमा	(-)262.75	173.22	(+)435.97
(iii) अन्य बैंकों में जमा	--	--	--
(iv) पारगमन में प्रेषण- स्थानीय	--	--	--
योग (i) से (iv)	(-)262.75	173.22	(+) 435.97
(2). रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	6,806.45	3,899.14	(-)2,907.31
(3). अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश (i) से (iii)	531.11	404.67	(-)126.44
(i) विभागीय रोकड़ शेष	132.24	2.57	(-) 129.67
(ii) स्थायी पेशगी	0.81	0.83	(+)0.02
(iii) उद्दिष्ट निधि से निवेश	398.06	401.27	(+) 3.21
समग्र रोकड़ स्थिति (1)+(3)	7,074.81	4,477.03	(-)2,597.78

(स्रोत : वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष के ₹ 7,074.81 करोड़ से वर्ष 2013-14 के अंत में ₹ 2,597.78 करोड़ की कमी आई।
- वित्त लेखे 2013-14 के अनुसार, ₹ 3,899.14 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किए गए जिस पर वर्ष के दौरान ₹ 241 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इनको कम ब्याज वाले 14 दिनी खजाना बिलों में निवेश किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। करार के अनुसार यदि यह शेष राशि निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।
- मुख्य शीर्ष 8670-चेक एवं देयक के अंतर्गत बकाया शेष, नहीं भुनाए गए चेकों की राशि को दर्शाते हैं। 2013-14 के वित्त लेखे के अनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष के अंत में बकाया शेष 2012-13 में ₹ 27.27 करोड़ की तुलना में

2013-14 में ₹ 56.69 करोड़ था। रोकड़ शेष, लम्बित चेकों की राशि तक बढ़े बताए गए।

1.9 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

कुल देयताएं, जिसकी परिभाषा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई है, राज्य के लोक लेखे एवं समेकित निधि के अंतर्गत देयताएं हैं। समेकित निधि देयताओं में भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम तथा आंतरिक ऋण समाहित है।



इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज सम्मिलित है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि राज्य, विधानसभा के अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंदर समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत के क्षेत्र के अंतर्गत उधार ले सकते हैं एवं निर्धारित की जाने वाली सीमाओं के अंदर गारंटी दे सकते हैं। लोक लेखे देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, आरक्षित निधियां एवं अन्य जमा सम्मिलित हैं।

शासकीय परिसंपत्तियों में समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियां एवं रोकड़ सम्मिलित होते हैं। समेकित निधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों में निर्धारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय-निगमों एवं कम्पनियों के शेयरों में निवेश एवं कर्ज तथा अग्रिम जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज एवं अन्य विकास कर्ज सम्मिलित होते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2013 को तदनुरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत की गई है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.11** एवं **1.12** में प्रस्तुत किया गया है।



राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2009-10 में ₹ 67,853 करोड़ से 2013-14 में ₹ 96,826 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

इन देयताओं में 2012-13 में 10.29 प्रतिशत के विरुद्ध 2013-14 में 7.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि मुख्यतः बाजार कर्ज (₹ 3,572 करोड़ से), राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 1,270 करोड़ से), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कर्ज (₹ 667 करोड़ से) एवं भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम (₹ 450 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

तालिका 1.27 2012-13 एवं 2013-14 के अंत में राज्य की राजकोषीय देयताओं के विवरण का चित्रण करती है।

तालिका 1.27: राज्य की राजकोषीय देयताओं के संघटक

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	नाम	2012-13	2013-14
1.	समेकित निधि देयताएं (लोक ऋण)	66,577	72,113
(i)	बाजार कर्ज	31,407	34,979
(ii)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	16,806	18,076
(iii)	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स का जारी करना	1,413	1,052
(iv)	नाबार्ड से कर्ज	4,172	4,839
(v)	अन्य कर्ज	511	449
(vi)	योग (i) से (v)	54,309	59,395
(vii)	भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	12,268	12,718
2.	लोक लेखा देयताएं	23,591	24,713
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	10,752	11,699
(ii)	सब्याज दायित्व	490	189
(iii)	ब्याज रहित दायित्व	12,349	12,825

(स्रोत : वित्त लेखे)

13वें वित्त आयोग में निर्धारित 36 प्रतिशत की सीमा के विरुद्ध 2013-14 के अंत में राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.47 प्रतिशत थी। ये राजस्व प्राप्तियों की 1.28 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधन की 2.35 गुना थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2012-13 में 0.53 से वर्ष के दौरान 0.35 की कमी हुई जो मुख्य रूप से इन देयताओं की संवृद्धि दर में कमी के कारण थी (तालिका 1.6)।

राज्य सरकार के वित्त आयोग की रिपोर्ट (2005-10) के पैरा क्र.12.59 के अनुसार, सभी राज्यों को, बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के कारण देयताओं इत्यादि सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करना चाहिए। निधियों का राज्य की समेकित निधि से अलग से रखरखाव किया जाना चाहिए एवं ऋण मोचन को छोड़कर, अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा कि सितम्बर 2014 तक राज्य में निक्षेप निधि की स्थापना नहीं की गयी।

वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि राज्य के निक्षेप निधि की स्थापना के लिए कार्यवाही प्रक्रियांतर्गत थी।

गारंटियां राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधार गृहिता के लिए जिसके लिए गारंटी दी गई है द्वारा चूक होने की स्थिति में होती है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम (MPSGGR), 2009 (संशोधित) 20 नवंबर 2009 से प्रभावी हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत उन सभी प्रकरणों में लागू होता है जहाँ राज्य सरकार ऋणों के पुनर्भुगतान एवं उस पर ब्याज के लिए गारंटी देती है। गारंटियों के संस्वीकृतियों के आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर थी।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 9 के अनुसार, राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया गारंटिया तालिका 1.28 में दी गई है।

तालिका 1.28: म.प्र. सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियों का विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
गारंटी की अधिकतम राशि	11,107.51	14,751.71	21,472.12
गारंटियों की बकाया राशि	5,605.03	7,719.54	9,977.62
चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 80 प्रतिशत (राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदंड)	41,483.20	50,083.20	56,341.60
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	17.74	20.95	28.35
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बकाया गारंटी की प्रतिशतता	10.81	12.33	14.17
प्राप्त गारंटी या फीस	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	102.86
प्राप्त गारंटी या फीस	0.44	4.81	2.50

(स्रोत: वित्त लेख)

वर्ष 2013-14 के दौरान, विद्युत क्षेत्र (61), सहकारी क्षेत्र (5), राज्य वित्त निगम क्षेत्र (22), नगरीय विकास एवं आवास क्षेत्र (91) तथा अन्य अधोसंरचना (62) के संबंध में गारंटियां दी गई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में, अधिकतम राशि जिसकी गारंटी दी गई थी, में ₹ 6,720 करोड़ (29.25 प्रतिशत) की अत्यधिक वृद्धि हुई जैसा कि उपर्युक्त तालिका 1.28 में देखा जा सकता है।

नुकसान में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दी गई गारंटियां

चार चयनित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि गारंटी की बकाया राशि में ₹ 3,449 करोड़ सम्मिलित थे जिनका विवरण तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में दी गई गारंटियां एवं संचित हानियां

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	नाम	वर्ष की समाप्ति पर बकाया गारंटी		संचित लाभ(+) या हानि(-)	
		2012-13	2013-14	2012-13	2013-14
1.	म.प्र.विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	1,994.89	1,646.85	(-) 1,418.71	(-) 2,002.75
2.	म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	759.48	611.16	(-) 6,937.29	(-) 8,824.43
3.	म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	761.52	543.87	(-) 5,922.60	(-) 7,733.55
4.	म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	1,122.89	646.84	(-) 6,001.03	(-) 8,673.05
	योग	4,638.78	3,448.72		

चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में हानियां हो रही हैं एवं उनकी बड़ी राशियों के ऋणों की पुनर्भुगतान क्षमता संदिग्ध है, अतः सरकार की आकस्मिक देयताओं की वास्तविक देयताएं होने की संभावना है।

गारंटी मोचन निधि

वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने गारंटी मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2013-14 की समाप्ति पर ₹ 389.87 करोड़ का अंतिम शेष था। सम्पूर्ण राशि का निवेश कर दिया गया।

यदि विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो तो एक प्रतिशत की दर से गारंटी फीस प्रमुख ऋणी पर प्रभारित की जाती है। इस तरह वसूल की गई फीस सरकार के राजस्व में जमा की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राप्त होने वाली राशि ₹ 102.86 करोड़ में से ₹ 2.50 करोड़ (2.43 प्रतिशत) गारंटी फीस के रूप में वसूले गए थे और शासकीय

लेखों में जमा किए गए थे। 2013-14 के दौरान किसी भी गारंटी का आवाहन (Invoke) नहीं किया गया था।

अनुरूप अंश के साथ ₹ 9.62 करोड़ निधियों में प्रेषित किए जाने थे उसके विरुद्ध केवल ₹ एक करोड़ जमा किए गए थे।

संचालित आरक्षित निधियाँ

हमने देखा कि मुख्य शीर्ष 8229-200-प्रतिपूर्ति वन निधि के अंतर्गत आरक्षित निधि में 31 मार्च 2014 को ₹ 31.81 करोड़ का जमा शेष था जिसका पिछले छह वर्षों से न तो उपयोग किया गया और न ही निवेश किया गया।

1.10 ऋण प्रबंधन

ऋण संधारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण संधारणीयता¹⁶ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण¹⁷, ऋणोत्तर प्राप्ति¹⁸ की पर्याप्तता¹⁸, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता¹⁹, ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्ति¹⁸ की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की संधारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका 1.30 में 2009-14 की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.30: ऋण संधारणीयता: संकेतक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण संधारणीयता के संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	2,117	8,333	10,390	4,632	9,412
ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-)1,766	927	(-)488	(-)3,660	(-)462
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठक में प्रतिशत)	3,131 (16)	2,606 (13)	955 (5)	2,838 (15)	569 (2)
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08

- ¹⁶ ऋण संधारणीयता किसी समयावधि में ऋणों के अंतर्गत राज्य ऋण उत्पाद का ऋण ऋणोत्तर अनुपात का रखने की राज्य की योग्यता के संकेतक में परिचित की जाती है जो ऋणों के निर्वहन के समर्थन में अपने सरोकार को मिला देती है। ऋण संधारणीयता का उल्लेख चालू ऋणों की दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता के अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ही उधारियों से ऋणों के निवल संतुलन का रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय ऋणों में ऋणों की सेवा की क्षमता में ऋणों के साथ होना चाहिये।
- ¹⁷ ऋण स्थिरीकरण के लिये ऋणों के निवल अनुपात का है कि यदि ऋणोत्तर में ऋणों की दर लोक ऋणों की लागत का ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है तो ऋणों के अंतर्गत राज्य ऋण उत्पाद अनुपात का ऋणोत्तर होगा ऋणोत्तर प्राप्ति या तो ऋणोत्तर सकारात्मक हो ऋणोत्तर संतुलित ऋणों से नकारात्मक हो। दर ऋणोत्तर (सकल राज्य ऋण उत्पाद ऋणों की दर ऋणोत्तर दर) तब ऋणोत्तर ऋणोत्तर (ऋणोत्तर X दर ऋणोत्तर) मानते हुये ऋणोत्तर संधारणीयता स्थिति ऋणोत्तर करती है। यदि ऋणोत्तर ऋणोत्तर के साथ ऋणोत्तर ऋणोत्तर होता तो ऋणोत्तर सकल राज्य ऋण उत्पाद अनुपात का ऋणोत्तर होगा या ऋणोत्तर ऋणोत्तर होगा। ऋणोत्तर ऋणोत्तर यदि ऋणोत्तर ऋणोत्तर ऋणोत्तर के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋणोत्तर सकल राज्य ऋण उत्पाद अनुपात में ऋणोत्तर हो रही होगी ऋणोत्तर यदि यह सकारात्मक है तो ऋणोत्तर सकल राज्य ऋण उत्पाद अनुपात ऋणोत्तर रहा होगा।
- ¹⁸ ऋणों से संधारणीयता ब्याज देयता में ऋणों से संधारणीयता ऋणोत्तर व्यय की ऋणों के लिये राज्य की ऋणों से संधारणीयता ऋणोत्तर ऋणोत्तर की पर्याप्तता ऋणोत्तर संधारणीयता महत्वपूर्ण ऋणों से सुविधाजनक हो सकती है। यदि ऋणों से संधारणीयता ऋणोत्तर ऋणोत्तर ऋणों से संधारणीयता ब्याज ऋणोत्तर ऋणोत्तर ऋणोत्तर व्यय की ऋणों कर सकें।
- ¹⁹ कुल ऋणोत्तर ऋणोत्तर की तुलना में ऋणोत्तर परिपोषण (मूलधन ऋणोत्तर ऋणोत्तर) के अनुपात के ऋणों में परिपोषित ऋणोत्तर ऋणोत्तर मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता ऋणोत्तर हुये ऋणोत्तर ऋणोत्तर ऋणोत्तर परिपोषण के लिये ऋणोत्तर की जाती है।

2013 2013 2013 2013

ऋण संधारणीयता के लिए मुख्य शर्त है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में ऋण के संबंध में स्थिरता रहे। यदि प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा नकारात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा, जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोक ऋणों का स्तर असंधारणीय है और प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा सकारात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण का स्तर संधारणीय है।

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2009-14 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारात्मक रही जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ऋण संधारणीयता के स्तर पर थे।

2013 2013 2013 2013

ऋण संधारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति से होती है तो ऋण संधारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल मध्यम से लंबी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्ति ने प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकता को न केवल पूरा किया बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के बाद परिणामतः सकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ जिससे राज्य की ऋण संधारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2009-10 एवं 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्ति, संवृद्धिता प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामतः नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ। 2009-10 एवं 2011-14 की अवधि के दौरान कर्जों की कोई भी महत्वपूर्ण वसूली नहीं देखी गई।

2013 2013 2013 2013

ऋण मोचन अनुपात ने 2009-14 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट 1.4)। इसमें 2009-10 में 0.84 से 2011-12 में 0.95 की वृद्धि तथा उसके पश्चात 2012-13 में 0.86 तक की कमी आई। इसमें पुनः 2013-14 में 0.98 की वृद्धि हुई जिससे परिसम्पत्ति निर्माण के लिए बहुत कम निधियां उपलब्ध थी। वर्ष 2013-14 के दौरान आंतरिक ऋण पुनर्भुगतान (₹3,243 करोड़) नवीन आंतरिक ऋण प्राप्ति (₹8,328 करोड़) का 39 प्रतिशत था, भारत सरकार के कर्जों का पुनर्भुगतान (₹762 करोड़) ₹1,212 करोड़ के नवीन ऋण प्राप्ति का 63 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों (₹12,735 करोड़) के मामले में पुनर्भुगतान ₹14,161 करोड़ की नवीन प्राप्ति का 90 प्रतिशत था। इससे यह दर्शित हुआ कि नवीन ऋण प्राप्ति का ऋण के पुनर्भुगतान में अंशतः उपयोग किया गया था।

वर्ष के दौरान आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹8,328 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने 9.42 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹5,000 करोड़ बाजार कर्ज से, ₹1,996 करोड़ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से, ₹1,250 करोड़ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) बैंक से एवं ₹82 करोड़ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए।

भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों की प्राप्ति में 2012-13 में ₹1,557 करोड़ से 2013-14 में ₹1,212 करोड़ की कमी मुख्यतः 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजना के लिए कर्ज' के अंतर्गत एक मुश्त कर्जों प्राप्ति में कमी थी। आन्तरिक ऋण में बाजार कर्ज मुख्य रूप से समाविष्ट था।

1.10.5 राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.31: 2012-13 एवं 2013-14 के लिए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्तीय वर्ष 2012-13				वित्तीय वर्ष 2013-14			
	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-कर्ज तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	2,155.17	1,116.55	3,271.72	4.91	2,859.37	1,148.62	4,007.99	5.56
1-3	5,338.84	1,154.89	6,493.73	9.75	4,901.40	1,176.90	6,078.30	8.43
3-5	5,816.11	1,178.33	6,994.44	10.51	8,231.36	1,199.59	9,430.95	13.07
5-7	11,624.32	1,183.68	12,808.00	19.24	11,853.71	1,205.75	13,059.46	18.11
7-9	9,833.07	1,183.46	11,016.53	16.55	10,632.71	1,205.50	11,838.21	16.41
9-11	6,433.07	867.75	7,300.82	10.97	7,132.71	432.36	7,565.07	10.49
11-13	1,896.61	250.37	2,146.98	3.22	2,019.12	228.88	2,248.00	3.12
13-15	1,738.67	161.58	1,900.25	2.85	1,818.72	140.15	1,958.87	2.72
15 और इससे अधिक	3,377.15	107.32	3,484.47	5.23	3,605.54	104.81	3,710.35	5.15
विविध*	6,096.32	5,063.88	1,1160.20	16.76	6,340.45	5,875.67	12,216.12	16.94
योग	54,309.33	12,267.81	66,577.14		59,395.09	12,718.23	72,113.32	

(स्रोत: वित्त लेखे)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है।

ऊपर दर्शाए गए राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा यह दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 27 प्रतिशत एक से पाँच वर्षों के मध्य, 45 प्रतिशत पाँच से 11 वर्षों के मध्य तथा 11 प्रतिशत ग्यारह से 15 वर्षों के मध्य और अधिक के पश्चात पुनर्भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 17 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि जानकारी सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई थी।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे-एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और


संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व, प्राथमिक और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

☐ की प्रवृत्ति

चार्ट 1.13 एवं चार्ट 1.14 2009-14 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



(स्रोत: वित्त लेखे)



(स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक तंत्र सांख्यिकीय संश्लेषण मध्य प्रभाग प्रिंसन)

- जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था, मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2009-10 में ₹ 5,498 करोड़ से 2011-12 में ₹ 9,910 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई, उसके बाद

2013-14 में कम होकर ₹ 5,879 करोड़ रहा। इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,580 करोड़ तक की कमी आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के अनुरूप राजस्व आधिक्य में 2009-10 में 2.42 प्रतिशत से 2011-12 में 3.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके पश्चात 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से तुलना करने पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर में कमी के कारण 2013-14 में 1.30 प्रतिशत की कमी आई। 2013-14 के दौरान यह 1.27 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक था।

- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की समस्त उधारियों और उसके संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, में अंतर वर्षीय परिवर्तनों के साथ 2009-10 में ₹ 6,199 करोड़ से 2013-14 में ₹ 9,882 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 462 करोड़ की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2012-13 में 2.53 प्रतिशत से 2013-14 में 2.19 प्रतिशत की कमी आई जो बजट अनुमान (2.98 प्रतिशत) के भीतर रहा एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तीन प्रतिशत साथ ही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भी भीतर रहा।
- 2013-14 के दौरान प्राथमिक घाटे में 2009-10 में ₹ 1,745 करोड़ से 2013-14 में ₹ 3,491 करोड़ तक की वृद्धि अंतर-वर्षीय परिवर्तनों के साथ हुई।

1.11.1 राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राजकोषीय घाटा, राज्य को कुल उधारियों की आवश्यकता तथा राजस्व एवं ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों पर कर्ज तथा अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य होता है। राजकोषीय घाटे का अपघटन से प्रकट होता है कि राज्य द्वारा राजस्व एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों के अलावा निधियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किस सीमा तक विभिन्न कर्ज लिए गए। राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप तालिका 1.32 में परिलक्षित होता है।

तालिका 1.32 : राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे का अपघटन						
राजकोषीय घाटा		-6,199	-5,272	-5,760	-9,420	-9,882
1	राजस्व आधिक्य	5,498	6,842	9,910	7,459	5,879
2	निवल पूंजीगत व्यय	-7,903	-8,433	-9,032	-11,534	-10,777
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-3,794	-3,681	-6,638	-5,345	-4,984

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप*						
1	बाजार उधारियां	5,016	3,258	3,166	3,363	3,572
2	भारत सरकार से कर्ज	888	577	403	909	450
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	492	1,582	-167	725	1,270
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	-188	-488	198	210	245
5	आरक्षित निधियां	324	275	1,191	2,020	971
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	412	773	698	837	948
7	जमा एवं अग्रिम	705	1,678	783	348	-490
8	उचन्त एवं विविध	10	86	-28	-93	32
9	प्रेषणों	31	519	391	400	286
10	रोकड़ शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+1,491	+2,988	+875	-701	-2,598

* [] वर्ष के [] रान सवितरण [] [] का निवल है
(स्रोत: वित्त लेखे)

यह देखा गया है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ली गई बाजार उधारियों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा। राजकोषीय घाटे को वित्त पोषण करने में 2013-14 में इसका अंश 36.15 प्रतिशत था। 2012-13 की तुलना में 2013-14 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि कर्जों, अल्प बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि की राशि राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में उच्चतर थी जिससे भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि दर्शित हुई।

1.12 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (कर्ज एवं अग्रिम सहित) में अपघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करेगा। मध्य प्रदेश में राजस्व आधिक्य 2004-05 से रहा है। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.33) उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.33: प्राथमिक घाटा/अधिशेष - घटकों का विभाजन

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्ज तथा अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के
								प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54
2012-13	70,500	57,394	11,567	5,385	74,346	13,106	-3,846	15.56
2013-14	75,880	63,479	10,813	5,079	79,371	12,401	-3,491	13.62

* अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित
(स्रोत: वित्त लेखे)

2009-14 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटों के घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय और वितरित किए गए कर्ज एवं अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत व्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि आधिक्य ऋणोत्तर प्राप्तियां सभी वर्षों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, वे सम्पूर्ण कर्जों एवं अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय असन्तुलन का संसाधन सहायता

- राज्य ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 5,879 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखा तथापि इसमें विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,580 करोड़ की कमी आई। यद्यपि राज्य का राजकोषीय घाटा (₹ 9,882 करोड़) 13वें वित्त आयोग, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम तथा बजट अनुमानों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर था, राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष से ₹ 462 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे ने 2012-13 में 2.53 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 2.19 प्रतिशत का सुधार मुख्यतः 2013-14 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्ष की तुलना में (19.41 प्रतिशत) उच्चतर संवृद्धि (21.15 प्रतिशत) के कारण हुआ।
- राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749 करोड़) में विगत वर्ष में 12.50 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में 2013-14 में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस कमी का मुख्य कारण भारत सरकार से अनुदानों (2 प्रतिशत) में कमी एवं राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कम संवृद्धि था। 2013-14 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया एवं 46 प्रतिशत केंद्रीय कर अंतरण एवं भारत सरकार से सहायतानुदान से था।

सरकार को ज्ञात है कि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने का हिस्सा

व्यय का राजकोषीय प्रभाव

- 2013-14 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 13.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था। वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से 46.88 प्रतिशत अधिक था लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए प्रक्षेपणों के लगभग बराबर था।

- 2013-14 में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत की कमी आई। कमी मुख्यतः ग्रामीण विकास, ऊर्जा एवं कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत थी जिसे सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन में वृद्धि द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

सरकार आयोजनेतर राजस्व व्यय को करने में प्रयत्न करके प्रायः करों को सही ढंग से प्रसूचित करने के लिए प्रयत्न किया। निजी क्षेत्र व्यय को अधिकाधिक निधियों में प्रत्यक्ष हो सके।

- वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज अदायगी एवं राजसहायता सभी पर व्यय, राजस्व व्यय का 53 प्रतिशत व राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। ₹ 6,567 करोड़ की कुल राजसहायता भुगतानों में से, 46 प्रतिशत ऊर्जा विभाग से संबंधित थी।

वेतन पत्रों को ब्याज भुगतान आदि से राजसहायता पर व्यय को जिसमें लक्ष्य प्राप्त हो रही है पर सरकार को विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

- 2013-14 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में दी गई प्राथमिकता, जब सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से तुलना की गई, पर्याप्त नहीं थी।

सरकार को सामाजिक सेवाओं पर विशेषतः राज्य शिक्षा को स्वास्थ्य को अधिकाधिक राजकीय प्राथमिकता देनी चाहिए।

राज्य कार्यान्वयन आयोग द्वारा राज्य को अंतरित निधियां

- 2013-14 के दौरान, राज्य अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुल ₹ 9,280.05 करोड़ अंतरित किए गए थे। ये निधियां राज्य बजट से होकर नहीं गुजरी थीं।

करत सरकार को राज्य को से अंतरित निधियों को अंतरित करने के लिए राज्य आयोग द्वारा लेखापरीक्षा पत्रों को पालन करके प्रयत्न लेखन संचालित करना चाहिए ताकि व्यय को सही से संचालित किया जा सके।

निवेश पर प्रतिक्रिया

- 2013-14 के दौरान, सरकार द्वारा 2013-14 तक सांविधिक निगमों, कंपनियों, सहकारी समितियों इत्यादि में निवेश ₹ 15,275.10 करोड़ पर प्रतिक्रिया (₹ 378.72 करोड़) केवल 2.48 प्रतिशत था जबकि वर्ष के दौरान औसत उधारी दर 6.84 प्रतिशत थी।

सरकार को अपने निवेशों के अंतरित निधियों को संचालित करना चाहिए।

- बाईस सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों जिनके लेखों को 2013-14 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिए उनका कुल निवेश ₹ 12,695.31 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 22,071.34 करोड़ तक हो गया था।

सरकार को राज्य सार्वजनिक उपकरणों पर जो अधिभार निकायों को संचालित रहे हैं, उन पर लागू की गई सरकारी योजनाओं के अभाव में पलायन नीति या संचालन नीति तयार करना पड़ेगा।

अपनी परियोजनाएँ

- ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों में 201 अपूर्ण परियोजनाओं पर 31 मार्च 2014 तक किया गया व्यय ₹ 34,465 करोड़ निष्फल रहा। इनमें से 50 परियोजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत पुनरीक्षित की गई थी जिससे ₹ 12,701 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

सरकार को अपनी परियोजनाओं पर खर्च करने में पहल करनी पड़ेगी ताकि संचालन के अभाव से नहीं जा सके।

देयताओं का निष्पत्ति

- वर्ष 2013-14 के अंत में, राज्य की कुल देयताएं ₹ 96,826 करोड़ थीं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं से अनुपात 21.47 प्रतिशत था जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन के लक्ष्य एवं तेरहवें वित्त आयोग (36 प्रतिशत) की निर्धारित सीमा के भीतर था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कुल देयताओं की उत्प्लावकता में 2012-13 में 0.53 से 2013-14 के दौरान 0.35 की कमी आई।

राज्य को अपनी वित्तीय सेहत में निर्यात के विषय में निर्धारित स्तर पर संचालित राज्य के लक्ष्य के अभाव में देयताओं से अनुपात को रखना आवश्यक है।

नवम्बर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई की जाएगी।